



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1191]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 3, 2007/आश्विन 11, 1929

No. 1191]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 3, 2007/ASVINA 11, 1929

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2007

का.आ. 1693(अ).—केन्द्रीय सरकार, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 29क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड का गठन करती है, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- श्री यू.सी. नहाटा, अध्यक्ष
क्षेत्रीय निदेशक (पूर्वी क्षेत्र),
निजाम पैलेस, II एम.एस.ओ. भवन,
तृतीय तल, 234/4,
ए.जे.सी. बोस रोड,
कोलकाता-700020
- श्री बी. बी. गोयल, सदस्य
सलाहकार (लागत),
कारपोरेट कार्य मंत्रालय,
नई दिल्ली
- श्री अशोक कुमार अग्रवाल, सदस्य
अध्येता चार्टर्ड एकाउंटेंट,
फ्लैट सं. 3-ए, व्हाइट हाउस,
10, भगवान दास रोड,
नई दिल्ली - 110001

परिषद् के नाम निर्देशिती :

- श्री वी. कल्याणरमण, सदस्य
भूतपूर्व अध्यक्ष,

भारतीय लागत और संकर्म
लेखापाल संस्थान ।

- श्री धनंजय वी. जोशी, भूतपूर्व अध्यक्ष, सदस्य
भारतीय लागत तथा संकर्म
लेखापाल संस्थान ।

2. क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भत्ते, लागत और संकर्म लेखापाल क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भत्ते नियम, 2006 द्वारा शासित होंगे ।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 5/2/2007-सी. एल.-5]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2007

S.O.1693(E).—In exercise of the powers conferred by Section 29A of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959), the Central Government hereby establishes a Quality Review Board consisting of the following persons, namely :-

- Shri U. C. Nahta, Chairperson
Regional Director (Eastern Region),
Nizam Palace, II MSO Building,
3rd Floor, 234/4, A.J.C. Bose Road,
Kolkata-700020.

- | | | | | |
|---|--|--------|---|--------|
| 2 | Shri B. B. Goel, Adviser (Cost),
Ministry of Corporate Affairs,
New Delhi. | Member | 5. Shri Dhananjay V. Joshi, Past
President, Institute of Cost and
Works Accountants of India. | Member |
|---|--|--------|---|--------|

- | | | |
|----|--|--------|
| 3. | Shri Ashok Kumar Agarwal,
Fellow Chartered Accountant,
Flat No. 3-A, White House,
10, Bhagwan Dass Road,
New Delhi-110001. | Member |
|----|--|--------|

Nominees of the Council :

- | | | |
|----|--|--------|
| 4. | Shri V. Kalyanaraman,
Past President,
Institute of Cost and
Works Accountants of India. | Member |
|----|--|--------|

2. The terms and conditions of service and allowances of the Chairperson and Members of the Quality Review Board shall be governed by the Cost and Works Accountants Procedures of Meetings of Quality Review Board, and Terms and Conditions of Service and Allowance of Chairpersons and Members of the Board, Rules, 2006.

3. This notification shall take effect from the date of publication in the Official Gazette.

[F.No. 5/2/2007-C.L-V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.